न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

01/2019 सुनीता v/s अर्जुनलाल

04.04.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत अपील पोषणीय नही होने हेतु पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलान्ट ने यह अपील माता–पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1)एवं नियम 20(2)(1) के तहत प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 16(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि "Any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal. " उपरोक्त धारा से स्पष्ट है कि अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक माता–पिता, ही आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा। वरिष्ठ नागरिक माता–पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई अपील श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में नही है। अतः अपील पोषणीय नही होने के कारण निरस्त फरमाने की कृपा करें। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट को अधिकरण द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत गजट नोटिफिकेशन, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 15453/2016 दिनांक 23.02.2017 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय को अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक माता–पिता, ही आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर, अपील पेश कर सकता है। अतः उपरोक्त अपील का अपीलीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सी.आर. मीणा) 5/4/19 जिला कलक्टर, सीकर जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner